

स्वातन्त्र्योत्तर काल में भारतीय प्रशासनिक पुलिस की भूमिका नागेन्द्र प्रताप सिंह

शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

डॉ. महानन्द द्विवेदी

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शास. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

शोध—सारांश

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय प्रशासन के स्वरूप में आमूल—चूल परिवर्तन आया है। 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में लोकतन्त्र, विकास और समाजवाद के लिए लोक प्रशासन युग की शुरुआत हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासन को नए और विशिष्ट महत्व के कार्यों के सम्पादन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। जो प्रशासन औपनिवेशिक शोषण और दमन का यन्त्र था वह अब सम्प्रभु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र का सेवक बन गया। सम्प्रभु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र की मूर्तिमान संस्था का रूप संसद ने ग्रहण किया जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से गठित की गयी। इस हेतु पूर्व में व्यवस्था को कानून के परिपालन और जनता के बीच तादात्मय स्थापित करने हेतु प्रशासनिक इकाई के एक रूप में कार्य कर रही पुलिस इकाई को नये अधिकार और कर्तव्य दिये गये। लोक प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। संवेदानिक लोकतन्त्र को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए पुलिस की अहम भूमिकाओं का अध्ययन शोध पत्र में शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द: स्वातन्त्र्योत्तर, काल, भारतीय, प्रशासन, भूमिका, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पुलिस आदि।

संदर्भ ग्रन्थ

- [1]. डा. राजीव गुप्त – डिप्रेशन से मुक्ति
- [2]. दैनिक नवभारत – 10–12–2005 .
- [3]. दैनिक नवभारत–15–12–2005
- [4]. नीरज दुबे – बढ़ता नक्सलवाद – पुलिस को चुनौती,
- [5]. पुलिस विज्ञान, जुलाई–सितम्बर 2000

